

12.38
02/04/2019

पत्रांक 14 / एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुरज कुमार पिता-बिलास साह ग्राम-नया टोला नवगछीया पो०-थाना-नवगछीया जिला-भागलपुर सीएमसीन०-380059 एच	कैंसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
2	पृथ्वी कुमार पिता-आदित्य कुमार ग्राम+पो० सहजौली थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर सीएमसीन०-389032 एच	हृदय रोग	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत।
3	सागर कुमार चौधरी पिता-सुरेश चौधरी ग्राम-मौलवीगंज पो०+थाना-शेरघाटी जिला-गया सीएमसीन०-784831 जी०	ई०एन० टी०	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
			कुल ₹ 2,60,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~875318~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल

- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/ यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/ शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...875318...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 465 (14)

पटना, दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/19
निदेशक प्रमुख
श्री. रंजन

12-38
02/04/2019

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लाल बाबु मंडल पिता-स्व० विजय मंडल ग्राम+पो०-चौरौथ थाना-पुपरी जिला-सीतामढ़ी	स्पाईनल सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	राजमती देवी पति-महेन्द्र वर्मा ग्राम-चकधरी पो०-नगर नौसा थाना-दनियांवा जिला-पटना	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	देवेन्द्र कुमार पिता-हृदयानन्द सिंह ग्राम-पो०-जोगता थाना-चांदी जिला-भोजपुर, आरा	हृदय रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत।
4	सुदमिया देवी पति-राम नाथ पासवान ग्राम-चमरहरा पो०+थाना-महनार जिला वैशाली	सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 4,60,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,60,000/- (चार लाख साठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875325 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज को चिकित्सकीय/वैद्यकीय चिकित्सा प्रमाण पत्र, उपरोक्त कोष मरीज को उक्त अनुदान राशि का प्रयोग/प्रमाण प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 875985 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 450 (14)

पटना, दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/19
निदेशक प्रमुख

12-38
02/04/2019

सं0सं0-14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर.
कंकड़बाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजय सिंह पिता-स्व0 यमुना सिंह ग्राम+पो0-दरबेशपुर थाना-सकसोहरा जिला-पटना	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार.) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~875321~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- **1499002109000623** खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/व्यक्ति के चिकित्सा सहायता कोष से वापस किया जाय, तथा उक्त राशि को वापस कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

बिश्वासभाजन

ह0/-
(डा0 आर0 डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~875921~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

446 (14)

पटना, दिनांक

27/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/19
निदेशक प्रमुख
आ.क.न.

12-38
02/04/2019

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	फुलपतीया देवी पति-राम स्वरूप राम ग्राम-पो०-मथुरा थाना-विदुपुर जिला-वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विद्यावती देवी पति-जवाहर लाल सिंह ग्राम+पो०-शुभंकर छपरा डीहपर थाना-सिसवन जिला-सीवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	इन्दु कुमारी पति-बिरेन्द्र ग्राम-सतरजा बाग पो०-थाना-कराय पर सुराय जिला नालंदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	चन्द्रशेखर राय पिता-अम्बिका राय ग्राम-दोस्त नगर पो०-शेरपुर थाना-मनेर जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	जनार्धन यादव पिता-राम स्वरूप यादव ग्राम-मठीया पो०-पीरु थाना-हसपुरा जिला-औरंगाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	पुनीता कुमारी पिता-कुलदीप दास ग्राम-राजमनी पो0-भैनी थाना-विरौल जिला-दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मैमुन निशा पति-मो0 सलीमउद्दीन ग्राम+पो0+थाना-सिगोड़ी जिला-पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	सुनील शर्मा पिता-रामेश्वर मिस्त्री ग्राम-पूर्वी रामकृष्णा नगर पो0-न्यु जगनपुरा थाना-रामकृष्णा नगर जिला-पटना	सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	मुन्नी देवी पति-लाल बाबु सिंह ग्राम-टेका बीगहा पो0-लखनपुरा थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
10	नादरा पति-शमशाद ग्राम-पो0 महेशामुंडा थाना-कहलगांव जिला-भागलपुर	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
11	शांति देवी पति-कविन्द्र प्रसाद ग्राम-शिवालापर पो0 नेउरा थाना-शाहपुर जिला-पटना	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
12	पलक कुमारी पिता-मुकेश कुमार पंडित ग्राम-मोहनी पो0-मोहनी सकरौली थाना-नानपुर जिला-सीतामढ़ी	कोकलीयर इम्पलांट	5,00,000	पांच लाख स्वीकृत।
13	प्रमीला देवी पति-त्रिलोकी नाथ मिश्र ग्राम-रवाईच पो0-थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	दशरथ सिंह पिता-स्व0 त्रिवेणी सिंह ग्राम+पोस्ट-डुमरी थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

15	मोती लाल दास पिता-जगदीश दास ग्राम+पो0-डहुआ थाना-बौसी जिला-बांका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	छाया सिन्हा पति-अजय कुमार सिन्हा ग्राम-दीवान मोहल्ला पो0-झाउगंज,थाना-खाजेकला जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	दामोदर प्रसाद पिता-स्व0 दियाली राउत ग्राम-महमदपुर पो0-थाना-औंगारी जिला-नालंदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	रूबी कुमारी पति-नन्दन कुमार ग्राम-पो0-अदोड़ी थाना-पुरनहीया जिला-शिवहर	मैक्सिलो फेसीयल सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	खुशी कुमारी पिता-संतोष दास ग्राम-खेतालपुर पो0-शाही मीनापुर थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	हिमांशु कुमार पिता-दीपक कुमार ग्राम-चकनुर पो0-रहमतपुर थाना+जिला-समस्तीपुर	ई0 ओ0 एस0 थरमोसीस	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
21	इन्द्रावती देवी पति-भारत भुषण प्रसाद सिंह ग्राम-तालीमपुर पो0-गुलवारा मधुबन थाना-मधुबन जिला-पूर्वी चम्पारण	नी रिपलेस्मेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
22	सौरव कुमार पिता-अजय प्रसाद ग्राम-निर्माणीमठ पो0-रुसतमपुर,थाना-हुलासगंज जिला-जहानाबाद	बर्न (प्लास्टिक सर्जरी)	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
23	उषा देवी पति-कृष्णा कुमार तिवारी ग्राम-जीरवा वार्ड नं0-15 पो0-पस्तपार, थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 19,90,000 /-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 19,90,000/- (उन्नीस लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "सख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875323 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना,बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

5. स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 875323 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 442(14)

पटना, दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ संबंधित मरीजों/आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
26/2/19
21.1.19

12-38
02/04/2019

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	धर्मनाथ पाण्डेय पिता-स्व० केशवर पाण्डेय ग्राम-बीगही बैरीसाल पो०-पेउली बाजार थाना-मीरगंज जिला-गोपालगंज सीआरन०-2018730507	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	बिगनी देवी पिता- राजेश पटेल ग्राम-अवसानपुर पो०-पुरैनीया थाना-बलभर जिला-प० चम्पारण सीआरन०-20181120420	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	किरण माला देवी पति-नीलाम्बर द्विवेदी ग्राम-कौसड पो०-गभीरार थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान सीआरन०-2010583612	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राज किशोर भगत पिता-रामचन्द्र भगत ग्राम-सदातपुर पो०-कोल्हुआ पैगम्बरपुर थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन०-2018771831	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

5	हसीना बानो पति-कलीमुद्दीन सम्स ग्राम-सल्लाहपुर पो-दिन दयालपुर थाना-जी०वी० नगर जिला सीवान सीआरनं०-2018142164	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
6	कृष्णा सेठ पिता- उमा सेठ ग्राम-पो-हाटा थाना-चैनपुर जिला-भभुआ कैमुर सीआरनं०-20181062493	ब्रेन टयुमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	इब्राहीम अली पिता-ईद मोहम्मद राय ग्राम-धर्म मकरीयार पो-हसुआ थाना-धनौती जिला-सीवान सीआरनं०-2018714572	मुत्र रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
8	जमशेद कुरैशी पिता-जीमरूल हक कुरैशी ग्राम-पो-हरिहास थाना-हुसैनगंज जिला-सीवान सीआरनं०-2018899760	न्युरो सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	निशा कुमारी पिता-विश्राम साह ग्राम-टिकरी पो-प्रतापपुर थाना-हुसैनगंज जिला-सीवान सीआरनं०-2018556055	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	ज्योती कुमारी पिता-श्रवण कुमार साह ग्राम-न्युचकदह वार्ड -4 थाना-राजनगर पो-जिला-मधुबनी सीआरनं०-2014760774	असाध्य रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 9,65,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,65,000/- (नौ लाख पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 875326 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी० आई० डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस० जी० पी० जी० आई०, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 आदेश की प्रति में यदि कहीं कोई आंशिक त्रुटि/भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों से मिलान कर रोगी का इलाज प्रारंभ किया जाय। रोगी को इसके लिए अनावश्यक परेशान नहीं किया जाय।
- 5 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 6 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....875326 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख


ज्ञापांक

460 (14)

पटना, दिनांक

27/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
26/2/19

12-38
02/04/2019

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.2.19 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम पुकार केशरी पिता-मोती लाल साह ग्राम-पो०-थाना-मीरगंज जिला गोपालगंज हौस्पिटलनं०-252953	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	हरदेव राम पिता-महीपत राम ग्राम-बहुआरा पो०-बिश्नुपुर महामण्ड थाना-काटी जिला-मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	उतम देवी पति-दिलिप प्रसाद सिंह ग्राम-तुलसीपुर पो०-घोरघट थाना-बरियारपुर जिला-मुंगेर यु०एचआईडीनं०-255173	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सोनी देवी पति-अनिल गोस्वामी ग्राम-नोनाजी पो०-खपरा थाना-टेटिया बम्बर जिला-मुंगेर यु०एचआईडीनं०-259783	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	सिया राम सहनी पिता-सरयुग सहनी ग्राम-नारायण पीपर पो०-पनसल्ला, थाा छौड़ाही जिला-बेगुसराय यु०एचआईडीनं०-246545	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	मास्टर सत्यम कुमार पिता-राम नरेश महतो ग्राम-कोठीयारा थाना-बखरी जिला-बेगुसराय यु.एचआईडीनं0-256103	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	इन्दु देवी पति-मुनेश्वर यादव ग्राम-चमारपट्टी पो0-रतनपुरा बाजार थाना-फुलवरीया जिला-गोपालगंज यु0एचआईडी-255291	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	गीता देवी पति-शंभु शरण प्रसाद ग्राम-अभंडा पोखर बाकरगंज पो0-लहेरिया सराय थाना-सदर जिला-दरभंगा यु0एचआईडी-257258	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	चन्देश्वर रजक पिता-स्व0 जगरनाथ रजक ग्राम-मैनपुरा, पो0 जी0पी0ओ0 थाना-पाटलीपुत्रा जिला-पटना पंजीसं0-227088	हृदय रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
			कुल ₹ 8,60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 8,60,000/- (आठ लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 875321 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 32987008657 खाता धारक का नाम- पारस एचएमआर आई अस्पताल, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-शेखपुरा, बेली रोड, राजा बाजार पटना 14, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003563 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

- स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें।
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर. डी. रजंन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...875321...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

ज्ञापांक 444(17)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
27/2/19
21.11.19

12-38
02/04/2019

सं०सं०'14/एम-11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड़
नियर सगुना मोड़, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चांदो यादव पिता-बेदन यादव ग्राम-खेमजी बीगहा पो०-बिडी डीह थाना-सीलाव जिला-नालंदा पंजीसं०-1819/1598	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शौजी महतो पिता-अशर्फी महतो ग्राम-माधोपुर पो०-अंजनाकोट थाना-मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर पंजीसं०-1819/1871	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
3	उग्रेश कुमार पिता-राम नन्दन सिंह ग्राम+पो०-दक्षिणी चक थाना-अथमलगोला जिला-पटना पंजीसं०-1819/0700	स्पाईनल एवं नस रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	गणेश चौधरी पिता-रामजी चौधरी ग्राम-माली टोला पो०-मांड़ी थाना-मांड़ी जिला-सारण पंजीसं०-1819/2031	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।

5	शीलनिधि कुमार पिता-योगेन्द्र प्रसाद साव ग्राम-चौक पटना सिटी पो0 झाउगंज थाना-खाजेकला जिला-पटना पंजीसं0-1819/1494	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मुकेश कुमार पिता-स्व0 बिरेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-अब्बु महम्मदपुर पो0-थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना पंजीसं0-1819/0980	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
7	गोलु कुमार पिता-मनोहर बिन्द ग्राम-पो0-अरमा थाना-कजरा जिला-लखीसराय पंजीसं0-1819/2151	प्लास्टिक सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	सुजीत कुमार दास पिता-नथुनी दास ग्राम-शिवैया पो0-माहें थाना सिंघीया जिला-समस्तीपुर पंजीसं0-1819/1939	प्लास्टिक सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,00,000 /- (ग्यारह लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 875322 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एचडी0एफ0सी0, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन
ह0/-
(डा0 आर डी. रजंन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~875322~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 445 (A)

पटना, दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Dr
26/2/19
निदेशक, प्रमुख
श्री. (रमेश)